

अज्ञात - २१४/१८९

५०/२०१८

२९.११.१४

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पो.उपस्थित  
पीठाधीन अधिकारी महोदय आज... २१०... ६१... ८... ८... ८...  
पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक... ०२.२.२२  
को पेश हो।

०२.२.२२

पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक सच न आज  
न्यायिक कार्य स्थापित रखा। पत्रावली पूर्व  
दिनांक १.२.२०२२ को पेश हो।

१२.४.२२

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पो.उपस्थित  
पीठाधीन अधिकारी महोदय आज... २०... ७... २...  
। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक... ७.६.२२  
को पेश हो।

७.६.२२

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पो.उपस्थित  
पीठाधीन अधिकारी महोदय आज... १५/०१/२०२१  
पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक... १३.९.२२  
को पेश हो।

१३.९.२२

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पो.उपस्थित  
पीठाधीन अधिकारी महोदय आज... २९... ९... २...  
पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक... २९.९.२२  
को पेश हो।

२९.९.२२

पत्रावली पेश। वकील अपीलाट को पूर्व पेशी पर हदायत दी गई थी कि  
आगामी तिथि से पूर्व तामील से श्रेय रेस्पोंडेन्स के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करे  
अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश ९ नियम ५ सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज  
कर दी जायेगी। आज दिनांक २९ अपीलाट ने रेस्पोंडेन्स के रजिस्टर्ड नोटिस  
पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलाट अपनी अपील के प्रति गम्भीर  
नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलाट आदेश ९ नियम ५ सी.पी.सी. के तहत खारिज  
की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर  
से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

भ.प्रबन्ध अधिकारी एवं

पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
सीकर (कैम्प झुन्डुचु)

